क्र0स0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
1	कृषि विभाग	1. एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस योजना	<u>योजना हेतु पात्रता –</u> 1 कृषि/तकनीकी स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से 2 कृषि/तकनीकी स्नातकों को समूहों में	1– बैकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। 2– पात्रता के अनुसार युवकों का चयन करके उनको कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेडा ल खनऊ के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना। 3– प्रशिक्षित युवकों द्वारा कृषि निवेशों की आपूति, कृषि यन्त्रों/ उपकरणों को कृषकों को किराये पर देने का कार्य । 4– एग्री क्लीनिक की स्थापना करके प्रशिक्षित कृषि तथा तकनीकी स्नातकों द्वारा विभिन्न फसलों की नयी प्रजाजियों तकनीकी परामर्श, मृदा परीक्षण /उपचार आदि कार्य करना।
		2. बीज ग्राम योजना	<u>योजना हेतु पात्रता</u> सीमान्त कृषक	1– प्रति विकास खण्ड में 15 हे0 भूमि पर सीमान्त कृषकों द्व ारा बीज उत्पादन का कार्य। 2– उत्पादित बीजों का क्रय कृषि विभाग के माध्यम से किया जाना। 3– योजनान्तर्गत 8 हजार सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाना। 4– योजनान्तर्गत लाभान्वितों की आय में वृद्धि करना तथा प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
		3. मृदा परीक्षण कार्यक्रम	<u>योजना हेतु पात्रता</u> 1– गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति। 2– उक्त पात्राता के अंतर्गत चिन्हित लोगों का समूह गठित कर उनके माध्यम से।	1– मृदा परीक्षण के कार्यो में प्रशिक्षित किया जाना। 2– नाबार्ड के माध्यम से रू0 2.5 लाख का ऋण स्वीकृत कराकर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराया जाना। 3– बैकएन्डेड सब्सिडी के रूप में ऋण का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 1.25 लाख का अनुदान। 4– जनपदों में आवश्यकतानुसार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता किया जाना।
.		4. कम उत्पादकता वाले विकास खण्ड में विशेष कार्यक्रम	<u>योजना हेतु पात्रता</u> – प्रत्येक जनपद में कम उत्पादकता वाले दो विकास खण्ड़ों का चयन	1– उत्पादकता में दुगनी वृद्वि करने की कार्य–योजना। 2– प्रत्येक जनपद में खरीफ एवं रवि में कम उत्पादकता के कारणों को चिन्हित कर कार्यक्रम चलाना। 3– समन्वित विकास के लिये कृषि निवेशों की आपूर्ति, कृषि विपणन, अवस्थापना को विकसित करके उत्पादकता को बढाये जाने की विशेष योजना बनाना। 4– विशेष योजना के क्रियान्वयन से उसका लाभ विकास खण्ड़ के किसानों को रोजगार वृद्वि में सार्थक बनाना।
.		5. कृषि विविधीकरण परियोजना।	<u>योजना हेतु पात्रता</u> क्षेत्रा विशेष की विशेषता को देखते हुये उत्पादकता बढाने की परियोजना।	1– उ0 प्र0 विविधीकरण परियोजना(डास्प) की भॉति क्षेत्रा विशेष के लिये रोजगारपरक परियोजना का निर्माण एवं संचालन। 2– परियोजनान्तर्गत एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट का बढावा देकर अनेकों फसलों के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जाना। 3– उत्पादन बढाने के लिये जैविक खाद को बढावा दिया जाना। 4– फल एवं सब्जियों के उत्पादन, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार तथा चारे का प्रबंधन का कार्यक्रम लिया जाना, जिससे किसानों की आय में अधिक वृद्वि हो सके।
.		6. उ0 प्र0 भूमि सुधार Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> उसर भूमि को उपचारित कर भूमि में सुधार <u>जिला स्तर पर संबंधित</u>	1– कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाया जाना। 2– भू स्वामियों को इस कार्यक्रम से सीधे जोड़ने का कार्य । 3– जनपद में उपलब्ध ऐसी कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाकर उपजाऊ बनाया जाना।

			अधिकारी जिला कृषि अधिकारी	4– योजनाओं के माध्यम से रोजगार किया जाना।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
2	पशुपालन विभाग	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना Q	**योजना हेतु पात्रता** स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के मार्ग निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान आदि विकास खण्ड/ जनपद स्तर से किया जाता है। **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** मुख्य विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी/ पशु चिकित्साधिकारी	**मद इकाई क्षमता इकाई लागत** 1– गाय/ भैंस पालन 2 पशु 39,000 2– '' 4 पशु 79,000 3– भेड़ पालन 40 मादा 1 नर 55,100 4– बकरी पालन 10 मादा 1 नर 28,000 5– सूकर पालन 5 मादा 1 नर 40,000 6– कुक्कुट पालन 500 चूजे (ब्रायलर) 48,500 7– कुक्कुट पालन 500 पक्षी (लेयर) 1,30,500 8– कुक्कुट पालन 100 चूजे (लेयर) 24,400 9– बत्तख पालन 100 चूजे 15,800 10– नैसर्गिक अभिजनन, 2 सांड (सांड) केन्द्र 22,000
		अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना चयनित जनपदों में Q	**योजना हेतु पात्रता** लाभार्थियों का चयन विकास खण्ड स्तर पर गठित समिति जिसमें खण्ड विकास अधिकारी पशु चिकित्साधिकारी, बैंक अधिकारी एवं ग्राम प्रधान शामिल होते हैं, के द्वारा किया जाता है। **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** मुख्य विकास अधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी	बकरी पालन 10मादा 1 नर 28,000 सूकर पालन 5 मादा 1 नर 40,000 कुक्कुट ब्रायलर 500 चूजे पालन 48,500 योजना में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाते हैं योजना में अनुदान सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत अधिकतम 7,500/– एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभार्थी को 33 प्रतिशत अधिकतम 10,000 प्रति इकाई लागत पर देय है।यह योजना बैंक ऋण पर आधारित है।
		पैरावेट (प्राइवेट ए0आई0 कार्यकर्ता)	यह योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां पशुपालन की संस्थायें कार्यरत नहीं हैं। लाभार्थी का 4 माह का कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। लाभार्थी का चयन विकास खण्ड से होकर जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता की समिति द्वारा किया जाता है।	इस योजना में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी को चयनित विकास खण्ड का निवासी जोना चाहिए। लाभार्थी इन्टर जीवन विज्ञान/ कृषि विज्ञान पास हो। योजना उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद एवं यू0पी0 डास्प द्वारा चिन्हित जनपदों में चलायी जा रही हैं। लाभार्थी कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं।
		प्राईवेट वेटरिनरी क्लीनिक	लाभार्थी पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक व बेरोजगार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हों।	एग्रीक्लीनिक योजनान्तर्गत प्राइवेट वेटरिनरी क्लीनिक की स्थापना हेतु बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को नाबार्ड रिफाइनेन्स अन्तर्गत बैंक ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। योजनान्तर्गत प्राइवेट वेटरिनरी क्लीनिक की स्थापना के लिए कुल लागत रू0 1.46 लाख, प्राइवेट वेटरिनरी क्लीनिक एवं लघु डेरी इकाई के लिए कुल लागत रू0 3.30 लाख, प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के लिए कुल लागत रू0 0.56 लाख, (मोपेड माडल) व रू0 0.91 लाख (मोटर साइकिल माडल) एवं प्राइवेट वेटरिनरी क्लीनिक तथा पशु

				आहार एवं पशु औषधि विक्रय केन्द्र के लिए रू0 2.00 लाख निर्धारित हैं। बैंक द्वारा आवश्यक अवस्थापना मद स्टेशनरी, क्रायोकेन्स, ए0आई0 किट, मोपेड, मोटरसाइकिल आदि के लिए ऋण दिया जायेगा।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
3	उ.प्र.पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1. मार्जिन मनी ऋण योजना (15 परियोजनाएं) 2. टर्म लोन ऋण योजना (52 परियोजनाएं)	1. <u>योजना हेतु पात्रता</u> :– *i.* जो उत्तर प्रदेश का निवासी ओ व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग का सदस्य हो। *ii.* 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो व 50 वर्ष से अधिक न हो। *iii.* गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात् जिसकी /परिवार की वर्तमान में समस्त श्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपये 21,206 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15,976 से अधिक न हो तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात् परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 42,412 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 31,952 से अधिक न हो।	इस योजना का संचालन निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट है

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
4	बेसिक शिक्षा	1– 3000 प्राथमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता 2– 800 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> :– <u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u> *जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी*	<u>योजना का संक्षिप्त विवरण</u> :– 3000 प्राथमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता देकर 15000 अध्यापकों हेतु रोजगार सृजन 800 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता देकर 3200 अध्यापकों हेतु रोजगार सृजन

क्र0स0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
5	सहकारिता	उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक की योजनायें Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> रोगजार हेतु इच्छुक व्यक्ति । <u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u> जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक	1 विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लिये मध्यकालीन एवं दीर्धकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाते है। 2 अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण दिये जाते है। 3 योजना के अन्तर्गत ट्रेक्टर ऋण, डेरी ऋण, सड़क परिवहन ऋण, फलोद्यान ऋण, पशुपालन, मत्स्य पालन ऋण, पशुचालित वाहन आदि हेतु ऋण दिये जाते है। 4 जितनी भी इकाईयों को किसी योजना उद्यम मे ऋण दिया जायेगा उसमें कम से कम एक रोजगार सृजित होगा।
		जिला सहकारी बैंक की योजनायें Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> रोगजार हेतु इच्छुक व्यक्ति तथा स्वयं सहायता समूह /संघ। <u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u> सचिव, जिला सहकारी बैंक	1 विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लिये मध्यकालीन एवं दीर्धकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाते है। 2 इसके अन्तर्गत वाहन ऋण, व्यवसाइयों/फर्मो को दृष्टि बंधक ऋण, कृषि यंत्रीकरण ऋण, प0 दीनदयाल उपाध्याय सहकारी स्व रोजगार योजना आदि के माध्यम से लाभान्वित कराया जाना। 3 जितनी भी इकाईयों को किसी योजना उद्यम मे ऋण दिया जायेगा उसमें कम से कम एक रोजगार सृजित होगा। 4 वित्तीय वर्ष 2003–04 में ग्राम्य विकास बैंक की योजनायें एवं जिला सहकारी बैंक योजनाओं दोनों में कुल 1.25 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित कराये जाने का ल क्ष्य है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना सार
6	संस्कृति विभाग	1. सांस्कृतिक पर्यटन Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> ग्रामीण एवं षहरी <u>जिला/मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी</u> मुख्य विकास अधिकारी/ पर्यटन/संस्कृति विभाग के अधिकारी	पर्यटन उ.प्र. की लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के आधार पर पर्यटन के विकास से सम्बन्धित है। क्षेत्र विशेष के पर्यटक स्थलों को विकसित करने में पर्यटन विभाग का योगदान होगा, विकसित पर्यटक–स्थलों में पर्यटकों को आकर्षित करने, उन्हें उ0प्र0 की संस्कृति से परिचय कराने में उ0प्र0 संस्कृति विभाग सहयोग करेगा। सांस्कृतिक धरोहरों को इन्टरनेट, सी0डी0, पुस्तिका आदि के माध्यम से तथा प्रदर्शनकारी कलारूपों की प्रस्तुतियों के माध्यम से यह कार्य किया जायेगा।
		2. षिल्पग्राम / सुहागहाट Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकार/ षिल्पकार <u>जिला/मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी</u> मुख्य विकास अधिकारी/ पर्यटन/ खादी ग्रामोद्योग/ वस्त्र	भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग द्वारा माडल रूप में शिल्पहाट विकसित किये गये हैं, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा उदयपुर, हैदराबाद, चण्डीगढ़ में शिल्पग्राम विकसित किये गये हैं, जिनमें हस्तशिल्प तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है, कलाकारों को रोजगार के साधन विकसित होते हैं, जयपुर में 'चो खी–ढाडी' तथा अहमदाबाद में ऐसे प्रयास

			मंत्रालय/ संस्कृति विभाग के स्वायत्तशासी संगठन	व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किये जा रहे हैं। स्वायत्तशसी संस्थाओं के माध्यम से संस्कृति विभाग, उ0प्र0 ऐसे केन्द्र विकसित करने में सहयोग करेगा, जिसके निर्माण में खादी ग्रामोद्योग वस्त्र मन्त्रालय आदि संस्थाओं के साथ पर्यटन विभाग की भागीदारी हो, संस्कृति विभाग देश के अन्य संस्कृति विभागों से सम्पर्क कर योगदान कर सकता है।
		3. वाद्य यन्त्र निर्माण एवं प्रषिक्षण केन्द्र Q	**<u>योजना हेतु पात्रता</u>** कारीगर **<u>जिला/मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी</u>** मुख्य विकास अधिकारी/ पर्यटन/ संस्कृति उद्योग विभाग के स्वायत्तशासी संगठन	उद्योग विभाग के सहयोग से प्रदेश के झांसी मण्डल में ऐसा केन्द्र विकसित किया जायेगा जिसमें वाद्ययन्त्रों के निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य हो। झांसी, रेलवे नेटवर्क से सघनता से जुड़े होने के कारण म0प्र0, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों से भी सहयोग प्राप्त कर सकता है। वाद्य यन्त्रों की आवश्यकता तथा लोक कलाकारों को सहयोग, सुझाव हेतु विभाग अपनी सेवायें प्रदान करेगा।
		4. ध्वनि प्रकाष कार्यक्रम Q	**<u>योजना हेतु पात्रता</u>** ग्रामीण/ षहरी **<u>जिला/मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी</u>** मुख्य विकास अधिकारी/ पर्यटन/संस्कृति विभाग के स्वायत्तशासी संगठन	ध्वनि प्रकाश पर आधारित आयोजन दिल्ली, गोलकुण्डा, अण्डमान, ग्वालियर, खजुराहो से चल रहे हैं। पर्यटन विभाग ऐसे कार्यक्रम बनाने में सहयोग करें। संस्कृति विभाग की क्षेत्रीय इकइयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा प्रस्तुतीकरण में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
		5.पारम्परिक लोक प्रदर्शनकारी कला Q रूप/षिल्प प्रषिक्षण एवं विक्रय केन्द्र	**<u>योजना हेतु पात्रता</u>** लोक षिल्पकार **<u>जिला/मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी</u>** मुख्य विकास अधिकारी/ पर्यटन/ खादी ग्रामोंद्योग/ उद्योग/ खाद्य प्रसंस्करण/संस्कृति विभाग के अधिकारी	ग्रामोद्योग, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि विभाग द्वारा विकसित केन्द्रों में संस्कृति विभाग शिल्पकारों को प्रेषित करेगा। महोत्सवों में इनके वस्तुओं के विक्रय केन्द्र बनाये जायेंगे। अन्य राज्यों के कारीगरों, कलाकारों को आमंत्रित करने में विभाग की स्वायत्तशासी इकाईयां सहयोग करेंगी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
7	**दुग्ध विकास विभाग**	**महिला डेरी परियोजना**	1 – आय के श्रोत, सम्पत्ति सृजन एवं आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास। 2 – महिलायें स्वयं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकिया में सकिय भागीदारी। 3 – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ी जाति की गरीब महिलाओं को सामाजिक विकास की प्रकिया में भागीदारी योग्य बनाना। 4 – आर्थिक लाभ के कार्यक्रमों के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना। 5 – ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व्यवस्था एवं चारा विकास के लिये प्रशिक्षित करना। 6 – ग्राम स्तर पर गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से ग्रामीण दुग्ध उत्पादक	1. महिला डेरी परियोजना से 2002–03 में प्रदेश के 27 जनपद आच्छादित हैं। दुग्ध समिति का गठन 3–5 किलोमीटर की दूरी पर दोनो ओर के गांवों में किया जा सकता है। एक समिति में 40 महिलाओं होंगी । 2. प्रत्येक समिति को कुल रु0 92,000/– अनुदान के रूप में दिया जायेगा । 3. प्रत्येक महिला डेरी समिति में

		Q	महिलाओं को संगठित कर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन। **<u>शैक्षिक योग्यता :–</u>** समिति की सचिव हाईस्कूल पास , टेस्टर की कक्षा आठ तथा हेड लोडर साक्षर होना आवश्यक है । **<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** **जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी**	कुल 43 सदस्य होंगे जिसमें से सचिव, वर्कर तथा हेड लोडर साक्षर तथा शेष 40 सदस्य असाक्षर हो सकते हैं ।

		सघन मिनी डेरी परियोजना **Q**	आर्थिक रूप से कमजोर एवं विपन्न अनु0जाति/जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु स्वरोजगार के प्रबल अवसर उपलब्ध कराना। **<u>परियोजना की प्रमुख विशेषताएं:–</u>** 1. परियोजनान्तर्गत 84 प्रतिशत वित्तीय प्राविधान अनु0जाति/जनजाति एवं 16 प्रतिशत अन्य वर्गो के व्यक्तियों हेतु निर्धारित । 2. 2 दुधारू पशुओं की मिनी डेरी परियोजना की स्थापना , इकाई लागत रु0 29,500 अनु0जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु लागत का 33 प्रतिशत रु0 9735/– तथा अन्य वर्गो के लिये 25 प्रतिशत रु0 7375 /– का अनुदान । 3. दुधारू पशुओं का बीमा आच्छादन बीमा कम्प्पनी से 4. 80 प्रतिशत की दर से । 4. अनु0जाति के लाभार्थियों हेतु ऋण के समक्ष भूमि बन्धक रखने की अनिवार्यता से मुक्तता । **<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** **जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी**	**<u>यह योजना प्रदेश के 40 जनपदों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है ।</u>** ऋण आवेदन पत्र दुग्ध समिति के सचिव /क्षेत्र पर्यवेक्षक अथवा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के प्रभारी अथवा प्रभारी ई0एण्ड आई0 से जानकारी प्राप्त कर ऋण आवेदन प्राप्त किये जा सकते है ।
		स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान **Q**	**<u>1.अनु0जाति /जनजाति बाहुल्य ग्रामों में दुग्ध समिति का गठन</u>** **<u>2. समिति के गठन एवं कार्यो के संचालन हेतु रु0 50, 000/– यथा :– स्टेशनरी , कैन , ग्लासवेयर, फर्नीचर आदि के लिये अनुदान स्वरूप।</u>** **<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	**<u>कार्यक्षेत्र :–</u>** प्रदेश के 13 जनपद यथा :– पीलीभीत, अम्बेडकरनगर , गोण्डा , बलरामपुर , श्रावस्ती , बहराइच , सिद्वार्थ्रनगर , बस्ती , मैनपुरी , फिरोजाबाद , सुल्तानपुर , फतेहपुर व फरूर्खाबाद ।

		अम्बेडकर डेरी डवलपमेंट प्रोजेक्ट **Q**	1. रोजगार सृजन एवं अनु0जाति/जनजाति के ग्रामीण कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आर्थिक एवं रोजगारपरक महत्वाकां क्षी योजना 2. 610 चयनित अम्बेडकर ग्रामों में एक प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन 3. समिति के गठन में रु0 50,000/– की सहायता 4. दो दुधारू पशुओं की इकाई लागत रु0 21, 500/– । प्रत्येक लाभार्थी को अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में प्राविधानों के अनुसार 33 प्रतिशत की दर से रु0 9735 /– के अनुदान की अनुमन्यता । **<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	**<u>कार्यक्षेत्र :–</u>** कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त जनपद ।
		जिला सेक्टर योजना	1. ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध मार्गो के दोनों तरफ 5 कि0मी0 की परिधि में चयनित दुग्ध मार्गो पर दुग्ध समितियों का गठन 2. समिति के गठन हेतु रु0 50,000/– वित्तीय सहायता की अनुमन्यता , जिसमें उपकरण , मशीन , स्टेशनरी , फर्नीचर व फिक्सचर ।	**<u>कार्यक्षेत्र :–</u>** प्रदेश के समस्त जनपदों पर जिला स्तर पर चालू व नई योजना के अन्तर्गत।

		Q	**<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	

		एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना	**<u>1. ग्रामीण स्तर पर कृषकों /दुग्ध उत्पादकों को दुधारू पशुओं द्वारा दुग्ध की विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु चयनित दुग्ध मार्गो पर सहकारी दुग्ध समिति का गठन</u>** 2. समिति गठन हेतु प्रत्येक समिति को दुग्ध परीक्षण उपकरण , ग्लास वेयरर्स, रजिस्टर सेट , फस्ट एड किट , फर्नीचरर्स , फिक्चर्स , कैटल क्रस के लिये रु0 11,000 /– प्रति समिति को उपलब्ध कराया जाना । **Q** **<u>जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>** जनपद स्तर पर इकाई प्रभारी दुग्ध संघ तथा उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	**<u>कार्यक्षेत्र :–</u>** यू0पी0–4 प्रोजेक्ट में मऊ , महाराजगंज , सिद्वार्थनगर , झांसी तथा यू0पी0–5 प्रोजेक्ट में बरेली , शाहजहांपुर , पीलीभीत तथा रामपुर जनपद आच्छादित । 2. प्रारम्भिक अवस्था में दुग्ध समिति के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान , दुग्ध परीक्षण हेतु केमिकल्स , सदस्यों द्वारा आपूति किये जाने वाले दुग्ध की मात्रा एवं गुणवत्ता का विवरण अंकित करने हेतु पासबुक वितरण दुग्ध विकास कार्यक्रम की जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु न्यूज लेटर्स तथा पोस्टर आदि की व्यवस्था , ग्राम स्तर से मोटर रोड तक पहुंचाने हेतु हेड लोड की सुविधा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकानुसार उपलब्ध । 3. आडियो विजुअल किट के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों की जानकारी , हरा चारा बीज (मिनी किट) टीकाकरण की उपलब्धता । 4. दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण कृषकों को जागरूक /प्रोत्साहित करने हेतु समिति सचिव , सचिव टेस्टर /हेल्पर , ए0एच0 /ए0आई0 वर्कर प्रबन्ध समिति सदस्य के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
8	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	पी0सी0ओ0 तथा रोजगार ढाबा	<u>योजना हेतु पात्रता</u> :–	पी0सी0ओ0 तथा साइबर ढाबा हेतु लगभग 20,000 रोजगार सृजित होंगे

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
9	मत्स्य विभाग	1. तालाब सुधार योजना Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> बेरोज़गार एवं दुर्बल वर्ग के व्यक्ति। *जनपद स्तर पर योजनाओं के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालन विकास अभिकरण*	रु0 60,000/– की सीमा तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्यपालकों के लिये 25ः अर्थात् रु0 15,000/– तक शासकीय अनुदान दिया जाता है और शेष व्यक्तियों के लिये 20ः अर्थात् रु0 12,000/– तक अनुदान दिया जाता है।
		2. नये तालाबों का निर्माण	उपरोक्तानुसार	निजी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण हेतु रु0 2 लाख प्रति हेक्टेयर तक बैंक ऋण जिस पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिये 20ः अर्थात् रु0 40,000/– एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये 25ः अर्थात् रु0 50,000/– तक की सीमा तक शासकीय अनुदान सुलभ होता है तथा तकनीकी सहायता भी दी जाती है।
		3. उत्पादन निवेशों हेतु सुविधा	उपरोक्तानुसार	पहले वर्ष में उत्पादन निवेशों हेतु रु0 30,000/– प्रति हेक्टेयर बैंक ऋण, जिस पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिये 20ः अर्थात् रु0 6,000/– व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये 25ः अर्थात् रु0 7,500/– की सीमा तक अनुदान दिया जाता है।
		4. इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग	उपरोक्तानुसार	इसमें मछली के साथ–साथ बतख, शूकर आदि का पालन भी शामिल है। इसमें रु0 80,000/– प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को 20ः अर्थात् रु0 16,000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये 25ः अर्थात् रु0 20,000/– अनुदान सुलभ कराया जाता है।
		5. प्रशिक्षण	उपरोक्तानुसार	प्रत्येक जनपद में मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन करने के लिये 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रति दिन रु0 50/– की दर से प्रशिक्षण भत्ता तथा रु0 100/– एक मुश्त भ्रमण व्यय दिया जाता है।
		6. मत्स्य बीज की आपूर्ति	उपरोक्तानुसार	उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों में उत्पादित बीज की आपूर्ति मत्स्य पालकों को ऑक्सीजन पैकिंग में तालाब तक सरकारी दरों पर की जाती है।
		7. मिट्टी–पानी की जॉच	उपरोक्तानुसार	मण्डल स्तर पर मत्स्य विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा मत्स्य पालकों के तालाबों की मिट्टी–पानी की निःशुल्क जॉच की जाती है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
10	विकलांग कल्याण विभाग	विकलांग व्यक्ति पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण	**1 – विकलांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण हेतु सरकार से वित्तीय सहायता।** 2 – **योजना हेतु पात्रता** – 2.1 – समस्त श्रेणी के विकलांग व्यक्ति, जो उ0प्र0 के मूल निवासी है। 2.2 – वार्षिक आय समय–समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय–सीमा के दोगुने से अधिक न हो। 2.3 – आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 55 वर्ष से अधिक न हो। 2.4 – जो किसी अपराधिक, अथवा आर्थिक मामले में सजा न पाये हो, तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। 2.5 – ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्गफीट की भूमि हो या जो अपने संश्रोंतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/ लीज पर लेने में समर्थ हो। 3 – **जिला स्तर पर योजना कार्यान्वयन का दायित्वः–** जिला विकलांग अधिकारी	1 – कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश। 2 – लाभार्थी यदि किसी व्यवसाय विशेष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त/ डिप्लोमा, प्रमाण पत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे वरीयता दी जायेगी। 3 – दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 110 वर्गफीट होना चाहिये, जिसमें से कमरा कम से कम 8′ x 10′ का तथा शेष बरामदा होना चाहिये। 4 – दुकान का निर्माण लाभार्थी स्वयं करा सकते है, अथवा उनके अनुरोध पर सरकारी एजेन्सी द्वारा कराया जा सकता है। ऋण एवं अनुदान की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त किये गये व्यय का वहन लाभार्थी स्वयं करेंगा। 5 – पात्र लाभार्थी को रू0 20,000/– की धनराशि की स्वीकृति, इसमें रू0 15,000/– की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/– की धनराशि अनुदान के रूप में। 5.1 – स्वीकृत धनराशि रू0 20,000/– दो किस्त में लाभार्थी को देय। प्रथम किस्त रू0 10,000/– द्वितीय किस्त 10, 000/– जिसमें 5,000/– ऋण तथा 5,000/– अनुदान। प्रथम किस्त के उपयोग उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र देने पर द्वितीय किस्त जारी की जायेंगी। 6 – मूल ऋण की वसूली ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू0 5,00/– प्रति त्रैमासिक किस्त की दर से तीन समान किस्तों में की जायेंगी। 6.1 – मूल ऋण की वसूली के बाद व्याज की धनराशि 24 बराबर मासिक किस्तो में की जायेंगी।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
11	हथकरधा एवं वस्त्रा उद्योग	<u>दीनदयाल हथकरधा प्रोत्साहन योजना।</u> Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> प्राथमिक सहकारी समितियों / स्वयं सहायता समूहों । <u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u> सहायक निदेशक, हथकरघा	1– योजनान्तर्गत ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु मार्जिनमनी की उपलब्धता। 2– हस्त शिल्पी लूम आदि आधारभूत सामग्री क्रय कर सके तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इस हेतु 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता का भी प्राविधान। 3– डिजाइन में सुधार , प्रचार–प्रसार, विपणन, यातायात तथा हथकरधा संगठनों को सुदृढ करने हेतु भी सुविधायें उपलब्ध कराया जाना। 4– वित्तीय वर्ष 2003–04 में योजनान्तर्गत रू0 10.00 करोड आय–व्ययक प्राविधान तथा 6000 बुनकरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य।

क0सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
12	उद्यान एवॅ खाद्य प्रसंस्करण	**राजकीय पौधशालाओं/ उत्पादन इकाईयों का आधुनीकरण।**	उत्पादन से सम्बन्धित मदों में आवश्यक परिव्यय हेतु वर्ष 2003–04 की इकोनामिक बायबिलटी रिपोर्ट पूर्व से बनाकर मानकों के आधार पर ही धनराशि स्वीकृत करायी जाये। योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत न कराई जाए ।	योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं उत्पादन इकाईयों के लिए परिव्यय निर्धारित कराया जाए, जो पूर्व से स्थापित हैं एवॅ उन पर उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।
		नवीन पौधशाला की स्थापना	पौधशालाओं का उत्पादन कार्यक्रम ''राजकीय पौधशलाओं/ उत्पादन इकाईयों का आधुनीकीकरण'' योजना में लेकर इस हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कराकर उन्हीं जनपदों में परिव्यय स्वीकृत कराया जाना जहॉ पर उपयुक्त भूमि निःशुल्क प्राप्त हो जाए ।	योजनान्तर्गत जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, बागपत एवॅ चित्रकूट में एक–एक पौधशाला की स्थापना कर उनका रख–रखाव किया जाना ।
		फल पट्टी सघ न एवॅ संहत क्षेत्रों में फल विकास, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी एवॅ पौध आपूर्ति।	**योजना हेतु पात्रता** लघु सीमान्त कृषक	लघु सीमान्त कृषकों को अधिकतम 02 एकड तक बेर, आम, आवंला, लीची तथा नींबू फलों के बाग रोपित करने पर रोपण सामग्री, खाद, उर्वरक, कीट व्याधिनाशक आदि पर निम्नानुसार निःशुल्क निवेश उपलब्ध कराया जाये :– 1– आम तथा लीची पर– 10000 रू0 रूपये का निवेश/ हैक्टर 2– अमरूद, आंवला, बेर, नींबू पर – 7000 रु0 रूपये का निवेश/ हैक्टर । 3– फल विकास प्रदर्शनी, तकनीकी प्रशि क्षण आदि के आयोजन हेतु भी आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था कराना । 4–चयनित फलों हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप परिव्यय स्वीकृत कराया जाना । 5– उघान रोपण से पूर्व लाईव फेंसिंग कराया जाना अनिवार्य होगा ।
		शाकभाजी एवॅ मसाला विकास की योजना	1– प्रमुख निवेशों पर रू0 2000/ – प्रति हैक्टर प्रति लाभार्थी की दर से प्रतिकर देय होगा। 2– योजना का प्रचार–प्रसार कर कृषकों को समूह में संगठित कर एक रजिस्टर बनाकर उसमें कुल आय–व्यय के विवरण का उल्लेख किया जाएगा । 3– योजनान्तर्गत प्रर्दशनों हेतु रू0 2000/ – प्रति दर प्रदर्शन की व्यवस्था करायी जाएगी जो अनुदान के रूप में होगी।	नदी तलहटी में शाक भाजी खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रतिकर का भुगतान
		मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना(केन्द्रीय) हेतु 10 प्रतिशत राज्यॉश।	योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित योजना मैक्रो मैनेजमेन्ट मोड हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना की 10 प्रतिशत राज्यॉश की व्यवस्था कराई जाती है ।	इस योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से योजना की स्वीकृति के अभाव में प्रेषित नहीं किये गये हैं।
		कम्पयूटराइजेशन, प्रशिक्षण एवॅ प्रसार		
		नवीन जनपदों एवॅ मण्डलों के कार्यालयों की		

		स्थापना ।		
		आम फल–पट्टी विकास की योजना	1– 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा जनजाति कोटि के लाभार्थियों का चयन अनिवार्य। 2– लाभार्थी लाईव फेन्सिंग लगाने के लिए सहमत हों । 3– बागवान को अनुदान 0.4 हैक्टर के 1. 00 हैक्टेर की सीमा तक अनुमन्य होगा । 4– चयनित लाभार्थियों को दो दिन का प्रशिक्षण, प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 30 प्रतिशत को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । 5– उर्वरकों का क्रय राजकीय संस्थानों से निर्धारित सीमा तक किया जाए । 6– फुट स्पेयर्स पर लाभार्थी को 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 700/ – जो भी कम हो देय होगा(नियमानुसार)।	1– लाभार्थी का चयन । 2– अनुदान देयता 3– रोपण सामग्री 4– रोपण सामग्री 5– लाईव फेसिंग 6– रेखॉकन व रोपण कार्य । 7– प्रशिक्षण 8– उर्वरक 9– सिके टियर 10– कीट व्याधिनाशक रसायन/ सूक्ष्म तत्व। 11– उद्यान के रख रखाव पर राज्य सहायता 12–फुट स्पेयर वितरण ।
		हर्बल गार्डेन्स की स्थापना **Q**	अनुमानित लागत रू0 1.00 लाख का अनुदान दिया जाएगा जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि रोपण सामग्री के रूप में तथा 75 प्रतिशत धनराशि स्थापना सामग्री सम्पूर्ति के रूप में व्यय की जाएगी। **योजना हेतु पात्रता** अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभार्थियों से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा । अनुदान की धनराशि का भुगतान क्रास चेक द्वारा लाभार्थियों के खाते में किया जाए। **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी :** जिला उद्यान अधिकारी	1– बीज व पौध आदि रोपण सामग्री पर प्रति हैक्टर अनुमानित लागत– 25,000 तथा प्रति हैक्टर देय अनुदान–25000 । 2– स्थापना व्यय प्रति हैक्टर अनुमानित लागत–75000 तथा प्रति हैक्टर देय अनुदान 75000। इसप्रकार कुल प्रति हैक्टर अनुमानित लागत 100000 तथा प्रति हैक्टर देय अनुदान रू0 100000 होगा ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
13	**खादी ग्रामोद्योग**	**1. ब्याज उपादान योजना** **Q**	**योजना हेतु पात्रता** व्यक्तिगत/ साझेदारी इकाईयों को ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी :** जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी	1. इकाईयों की स्थापना हेतु बैंकों से अधिकतम रू0 2 लाख का ऋण 2. ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज की धनराशि जिला सेक्टर के आय–वययक से बोर्ड द्वारा बैंकों को उपलब्ध करायी जाती है 3. वित्तीय वर्ष 2003–04 में बैंकों से रू0 182 करोड़ पूंजीनिवेश का लक्ष्य 4. योजनान्तर्गत कुल 3750 ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कर 28750 स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
		2. मार्जिन मनी योजना **Q**	**योजना हेतु पात्रता** रोजगार व्यक्तियों/ समितियों को **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी	1. पात्रता के अनुसार रू0 25 लाख तक की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराया जाना 2. रू0 10 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी 3. रू0 10 लाख से रू0 25 लाख की लागत तक 10 प्रतिशत मार्जिनमनी केन्द्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बजट से ब्याज रहित ऋण

				के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। 4. मार्जिन मनी की धनराशि इकाई के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का संक्षिप्त विवरण
14	श्रम	सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सामान्य प्रकार के उपकरणों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त अभ्यर्थियों का समूह बनाकर सर्विस सेन्टर की स्थापना		1–इस योजना में उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले उपकरण टी.वी., फ्रिज, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक स्विच आदि जैसे सामान्य प्रकार की मरम्मत हेतु सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इस हेतु आवश्यकतानुसार बेरोजगारों के समूह जनपद में बनाये जायेंगे। 2–इस हेतु जनपद मुख्यालय के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी होंगे।
		अल्प अवधि के प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार परकता में वृद्धि करना		1–इस योजना में रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टंकण, कम्प्यूटर में डाटा इण्ट्री का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सके।
		महिलाओं हेतु विशिष्ट व्यवसायों में प्रशि क्षण कार्यक्रम आयोजित करना		1–इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को ब्यूटी एण्ड स्किन केयर, हेल्थ सेंटर, सिलाई आदि का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
		गैर तकनीकी अन्य उपयोगी कम लागत वाले व्यवसायों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना		1–इस योजना में मुख्य रू‍प से फिनायल, गत्ते के बक्से, धागे की रील, दोने पत्तल, आफिस हेतु गोंद आदि बनाने का मामूली प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगें। 2–उक्त उत्पादों के क्रय हेतु शासकीय/अद्ध शासकीय व निगमों आदि में वरीयता दी जायेगी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
15	उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	स्वशक्ति उत्तर प्रदेश परियोजना	**योजना हेतु पात्रता ग्रामीण महिलाएं** ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के उददेश्य से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रीय कषि विकास निधि तथा भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से केन्द्र सेक्टर की यह परियोजना प्रदेश में सितम्बर 1998 से दिसम्बर 2003 की अवधि हेतु संचालित है।	**1–1200 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष्य 1268 स्वशक्ति समूहों के गठनोपरान्त पोषण किया जा रहा है।** 2–पोषित समूह के सदस्यों की क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित किया जाना। 3–समूहों की स्थानीय बैंको से ऋण सम्बद्धता में सहयोग किया जाना। 4–समूहों द्वारा ऋण लेकर विभिन्न आयसृजक कार्यकलाप क्रियान्वित किया जाना। 5–सशक्तिकरण के दृष्टिगत समूहों को संघीय स्वरूप प्रदान करने में सहयोग किया जाना।
		स्वयंसिद्धा उत्तर प्रदेश परियोजना	**योजना हेतु पात्रता ग्रामीण महिलाएं** भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण का उददेश्य	1–प्रदेश के 54 जनपदों के 94 विकास खण्डों को आच्छादित करते हुये 9400 स्वयंसिद्धा समूहों के गठन का लक्ष्य है। 2–लगभग 140000 निर्धन एवं निर्बल ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों सहित उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। 3–परियोजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2002–03 से पांच वर्ष की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाना।
	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	बाल विकास परियोजना	187 परियोजनाओं में 23836 आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोला जाना	23836 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय के आधार पर तैनात किया जायेगा

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का संक्षिप्त विवरण
16	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1– **निजी क्षेत्र में मेडिकल/ डेंटल कालेज की स्थापना**	एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेंटल कालेज की स्थापना प्रस्तावित है।	1–प्रदेश की कठिन आर्थोपाय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों को देखते हुए नये मेडिकल/डेण्टल कालेज स्थापित किया जाना सम्भव नहीं था अतः निजी क्षेत्र की संस्थाओं को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु शासन द्वारा नीति घोषित की गई थी।
		2– **पैरामेडिकल विधाओं में डिग्री प्रशिक्षण**	पैरामेडिकल विधाओं में डिग्री पाठ्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजित करना चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निम्न विधाओं में डिग्री पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है :– 1– बी0एस0सी0/ बैचलर इन फिजियोथिरेपी 2– बी0एस0सी0/ बैचलर इन आक्यूपेशनल थिरेपी 3– बी0एस0सी0/ बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 4– बी0एस0सी0/ बैचलर इन	**2–कालेज की स्थापना हेतु एन.ओ.सी. के लिए अधिक समयावधि का विस्तार, टीचिंग हास्पिटल के रूप में सरकारी अस्पताओं का उपयोग एवं पी. जी. कोर्सेज के लिए बैंक गारण्टी की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।** 3–वर्तमान में निजी क्षेत्र के 16 डेण्टल तथा 3 मेडिकल कालेज स्थापित हैं। 4–निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित इन कालेजों से स्वयं एवं पैरा मेडिकल को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। 5–इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नये–नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 6–चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पैरामेडिकल अधिनियम भी तैयार किया गया है जो परी क्षणाधीन है। इस अधिनियम के लागू होने से अच्छे दर्जे के प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तैयार

			रेटियोडायग्नोसिस एण्ड इमेजिंग 5– बी0एस0सी0 / रेडियोथिरेपी 6– बी0एस0सी0 / नर्सिंग	किया जा सकेगा और रोजगार के अवसरों का सृजल होगा।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
17	उ.प्र.अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0	3. मार्जिन मनी योजना	1. <u>योजना हेतु पात्रता</u> :– *iv.* उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज़गार एवं ज़रूरतमन्द लोग। *v.* शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। *vi.* गरीबी रेखा की दोगुनी धनराशि से कम स्तर पर जीवनयापन करने वाले व्यक्ति भी पात्रा हैं। *vii.* नगरीय क्षेत्रा में उच्चतम आय रु0 42,000/– प्रति वर्ष से कम होनी चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्रा में आय रु0 32,000/– से कम प्रति वर्ष होनी चाहिये। *viii.* एक परिवार का एक ही सदस्य पात्रा होगा, किन्तु शादीशुदा पुत्र–पुत्रियों को अलग परिवार में माना जायेगा। *ix.* आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये। *x.* निगम द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। *xi.* स्नातक पास व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।	<u>योजना का संक्षिप्त विवरण</u> :– *i.* रु0 5,00,000/–तक की परियोजना लागत वाली इकाई को ऋण उपलब्ध कराया जाना। *ii.* परियोजना लागत का 30: मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा व 65: बैंक/वित्तीय संस्था से उपलब्ध कराया जायेगा तथा 5: लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। *iii.* रु0 40,000/– तक मार्जिन मनी ऋण पर 3: वार्षिक ब्याज और उससे अधिक पर 4: वार्षिक ब्याज देय होगा। निर्धारित समय सीमा के अनुसार पुनर्भुगतान (re payment) करना होगा। *iv.* प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से होगा। *v.* निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को देने होंगे। *vi.* शेष कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा की जानी है।
		4. टर्म लोन योजना	<u>योजना हेतु पात्रता</u> :– उपरोक्तानुसार	<u>योजना का संक्षिप्त विवरण</u> *i.* वार्षिक एवं माहवार लक्ष्यों के अनुसार 40: परियोजनायें रु0 30,000/– तक की लागत वाली इकाइयों हेतु तथा 60: रु0 50,000/– तक की लागत हेतु परियोजनायें होंगी। *ii.* शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुपात्र बेरोज़गार एवं स्वतः रोज़गाररत् युवक एवं युवतियों हेतु चलाई जा रही है। *iii.* निगम द्वारा परियोजना लागत का 90: टर्म लोन के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और 10: लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से लगाया जायेगा। *iv.* ऋण पर 6: वार्षिक ब्याज होगा। *v.* योजनाओं का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। शेष कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होने के पश्चात की जायेगी। *vi.* लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में किया जायेगा। *vii.* 10: लाभार्थियों से प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।
		5. स्वयं	1. स्वयं सहायता समूह की परिभाषा –	**ऋण का उद्देश्य –**

		सहायता समूह लघु ऋण योजना	स्वयं सहायता समूह 15 से 20 लाभार्थियों का एक ऐसा समूह है, जो सामूहिक रूप से अपने रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हैं। मुख्यतः यह समस्यायें जीविका कमाने के लिए कार्य करना, इसके लिए धन का प्रबन्ध करना तथा माल बेचने से सम्बन्धित होती है। **2. योजना हेतु पात्रता** • स्वयं सहायता समूह के कार्यकारी व्यक्ति आवश्यक रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखता हो। • स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वार्षिक आय दोहरी गरीबी रेखा से कम हो, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 32,000/– तथा शहरी क्षेत्र के लिए रू0 42,000/– प्रतिवर्ष है। • स्वयं सहायता समूह यदि पहले से केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी वित्त योजना व वित्त संस्थाओं की योजनाओं के अन्तर्गत शातिल हों तो उस को ऋण प्राप्ति के योग्य नहीं माना जायेगा । • स्वयं सहायता समूह बचत तथा कर्ज समूहों (स्वयं सहायता दलों) का नियमित सदस्य हो। लघु वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित वैयक्तिक, समूहों द्वारा ऐसे समूहों के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है जहां अल्पसंख्यक (75 प्रतिशत तथा उससे ऊपर) सदस्यों की प्रधानता हो। ***जिला स्तर पर सम्बन्धित योजना का उत्तरदायी अधिकारी– जिलाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर कियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।***	अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर ऋणों को अलावा, ऋण का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के कमजोर तबकों के व्यक्तियों को आमदनी शुरू करने अथवा आमदनी बढ़ाने की गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उदाहरण के तौर पर आमदनी बढ़ाने की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है– • लघु उद्यम /व्यापार • लघु /कुटीर उद्योग या सेवा गतिविधियां • हस्तकला से सम्बन्धित गतिविधियां • कृषि तथा उससे सम्बन्धित गतिविधियां • परिवहन सेक्टर गतिविधियां **ऋण की उपलब्धता** निगम द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। अवेशष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह/ लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से लगाया जायेगा।

Q

क्र0स0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
18	ग्राम्य विकास	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> <u>1 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार।</u> <u>2 योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभान्वित कराया जाना।</u> <u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u> – परियोजना निदेशक एवं मुख्य विकास अधिकारी	1– चयनित/लाभान्वित स्वरोजगारियों में 40 प्रतिशत महिलायें , 50 प्रतिशत अनु0जाति/जनजाति तथा 3 प्रतिशत विकलांग को लाभान्वित किया जाना। 2– समूहों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा। समूहों के विकास हेतु प्रथम ग्रेड़िग के पश्चात् रिवाल्विंग फन्ड तथा सी0सी0एल0 के रूप में रू0 25000/– की अनुमन्यता। 3– समूहों की स्थिरता सुनिश्चित करते हुये द्वितीय ग्रेडिग के पश्चात् समूहों द्वारा चयनित आर्थिक क्रियाकलापों के लिये बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण की व्यवस्था। 4– आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थक्षम क्रियाकलापों का ब्लाकवार चयन एवं कलस्टर पद्वति का अनुसरण। 5– क्रियाकलाप–वार प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी एवं तद्नुसार ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की अवधारणा। 6– प्रत्येक स्वरोजगारी के प्रशिक्षण एवं कौशल अभिवर्द्धन की व्यवस्था। 7– विपणन एवं तकनीकी उपलब्धता पर बल। 8– प्रत्येक स्वरोजगारी परिवार को प्रतिमाह कम से कम रू0 2000/– की आय सृजन हेतु सक्षम बनाना। 9– बैंकों , तकनीकी संस्थाओं, सहयोगी विभाग तथा गैर–सरकारी संस्थाओं की सक्रिय और प्रभावी भूमिका पर बल। 10– सामान्य श्रेणी के स्वरोगजारी को 30 प्रतिशत, अधिकतम रू0 7500/– तथा अनु0जाति/ जनाजाति एवं विकलांग को 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000/– अनुदान देय। 11– समूहों की दशा में कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.25 लाख की सीमा तक अनुदान अनुमन्य। 12– सिचाई परियोजनाओं हेतु अनुदान की कोई वित्तीय सीमा नहीं। 13– स्वरोजगारियों व समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी रू0 5000/ की सीमा तक व्यय का प्राविधान।
		2. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	<u>योजना हेतु पात्राता</u> 1 कोई भी बेरोगजगार, अद्व–रोजगार व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में रूचि रखता हो। 2 ग्रामीण क्षेत्रा का निवासी हो किन्तु अर्द्व–शहरी क्षेत्रा में भी लाभार्थी हो सकते है।	1– योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास है। 2– प्रदेश के ग्रामीण अंचल में उपलब्ध संसाधनों एवं दक्षता के आधार पर ही रोजगार सृजित करने हेतु विभिन्न विभागों/ जनपदों के माध्यम से रोजगारपरक प्रस्ताव संरचित होते है और अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित होते है। 3– योजना के अन्तर्गत स्थानीय विशिष्टताओं, वहॉ की मांग व उपलब्ध कच्चामाल तथा खपत की सम्भावनाओं के दृष्टिगत बैकवर्ड एवं फावर्ड लिंकजेज के समावेश सहित परियोजनायें संचालित होती है।

		Q	**जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** – **जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा परियोजना से सम्बन्धित क्रियान्वयन विभाग के अधिकारी।**	4– योजनान्तर्गत सघन मिनी डेरी, महिला डेरी , अच्छे नस्ल के पशुविकास हेतु प्रजन्न योजना, लीची उतपादन, मशरूम उत्पादन, हरी छाल केला विकास, टेराकोटा एवं ब्लैक पोट्री, बेत वस्तु निर्माण, शंकर प्रजाति शब्जी उत्पादन, पत्थर तराशी, घुघरू पांयल उत्पादन तथा नीबूं प्रजाति उद्यानीकरण परियोजना एवं मौन पालन (शहद उत्पादन) आदि परियोजनायें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उदाहरण के रूप में रही है। 5– योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार का प्रतिबंध नही है। इसमें बेरोजगार/अर्द्धबेरोजगार व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में रूचि रखता है उसे लाभान्वित किया जा सकता है। 6– योजनान्तर्गत कमजोर वर्ग के उत्थान की सरकार की प्रतिबंद्वताओं के अनुरूप अनु0 जाति/ जनजाति के परिवार के लोगों को लाभान्वित करने के लिये कुल बजट का 84 प्रतिशत का प्राविधान। 7– परियोजनान्तर्गत अनु0 जाति/जनजाति परिवार के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000/– एवं अन्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत , अधिकतम रू0 7500/– तक राज सहायता/शासकीय अनुदान की अनुमन्यता है। 8– योजना में बैंकेबुल रोजगारपरक परियोजनाओं की प्रमुखता होगी। 9– परियोजनान्तर्गत किसी प्रकार का पद सृजित नहीं किया जायेगा, अपितु निर्धारित प्रशासनिक धनराशि के माध्यम से परियोजना स्वभाव से सम्बन्धित विभाग द्वारा क्रियानवयन किया जायेगा। इसी व्यवस्थानुरूप स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से प्राप्त होगी।

क्रम सॅ0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
19	**विज्ञान एवॅ प्रौद्योगिकी**	रोजगार सृजन योजनान्तर्गत– 1. राइस हलर परियोजना	**योजना हेतु पात्रता** बेरोजगार श्रमिक **<u>जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी</u>**	1. 2000 नये हलर्स को चलाने हेतु प्रति हलर्स तीन व्यक्तियों के हिसाब से 6000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना । 2. बैंकों द्वारा 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किया जाना ।
		2. मेन्था से तेल निकालना	**योजना हेतु पात्रता** बेरोजगार व्यक्ति **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी**	1. 10वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत 500 प्लान्टस लगाया जाना । 2. प्रति प्लान्ट दो व्यक्तियों अर्थात् 1000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना । 3. लाभार्थियों को बैंको से ऋण प्राप्त करने की सुविधा ।
		3. धान की फसल के लिए बायोफर्टीलाईजर	**योजना हेतु पात्रता** स्वतः रोजगार श्रमिक/ कृषक तथा बेरोजगार व्यक्ति **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी**	1. धान की पैदावार बढाना तथा यूरिया की खपत कम करना। 2. कृषकों को 400 रू0 प्रति हेक्टर का अतिरिक्त लाभ । 3. बायोफर्टीलाइजर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि जिलाधिकारियों/ मुख्य विकास अधिकारियों की सहायता से प्रदान किया जाना । 4. 10 पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 5000 व्यक्तियों को 10 जनपदों के अन्तर्गत स्वरोजागार प्रदान किया जाना ।
		4. सेल्फ हेल्प ग्रुप	**योजना हेतु पात्रता** ब्लाक स्तर पर बेरोजगार नवयुवक/ कृषक तथा श्रमिक **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी**	1. राजगीरी बढई, लोहारी तथा मोची आदि के लिए टूल किट्स उपलब्ध कराना तथा लाभार्थियों को ऋण दिलवाना । 2. साग सब्जी तथा फल फलहारी की प्रोसिंसिंग का प्रचार–प्रसार करना तथा ग्रुप द्वारा वैल्यूएडीसन करवाना । 3. कृषि यन्त्रों को कृषकों को उपलब्ध करवाना तथा लाभार्थियों को ऋण दिलवाना । 4. स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को विभिन्न जानकारी प्रदान करना । 5. 50 ब्लाकों में प्रति ब्लाक 10 व्यक्ति की दर से 500 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना।
		5. ग्रामीण महिलाओं हेतु परियोजना	**योजना हेतु पात्रता** ग्रामीण महिलाएॅ **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी**	1. महिलाओं का सेल्फ ग्रुप बनाकर उनको दोना पत्तल बनाने, मशीन द्वारा बांध तथा सुतली तथा रस्सी बनाने, आचार मुरब्बा बनाने, चिकन तथा दरदोजी का कार्य सि खाना आदि । 2. बैंको से उपर्युक्त कार्यों हेतु ऋण की सुविधा दिलाया जाना ।
		6. बेरोजगार नवयुवकों हेतु परियोजना ।	**योजना हेतु पात्रता** बेरोजगार व्यक्ति **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी**	1. इण्डिया मार्का–2 पम्प्स मोटर साईकिल, स्कूटर आदि के रिपेयर्स हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा टूल किट्स उपलब्ध कराना । 2. पेट्रोल तथा डीजल को गॉव गॉव वितरित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इसको लाने व ले जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले साधनों के लिए बैंको से ऋण दिलवाना ।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
20	**माध्यमिक शिक्षा**	1– व्यवसायिक शिक्षा योजना फ **2–** 300 माध्यमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता	<u>योजना हेतु पात्रता</u> :– विद्यालय के छात्र–छात्रायें **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** जिला विद्यालय निरीक्षक	<u>व्यवसायिक शिक्षा योजना वर्तमान में 892 विद्यालयों में चल रही है तथा प्रत्येक विद्यालय में दो ट्रेड के अनुसार कुल 35 ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं । ट्रेडों में छात्र छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं। इन छात्र–छात्रों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन छात्रों को संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराया जाय। जिसमें 10 निम्न प्रमुख हैं :–</u> – 300 माध्यमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता देकर 3000 अध्यापकों हेतु रोजगार सृजन

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
21	लघु उद्योग	**1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना** Q	**योजना हेतु पात्रता** 1 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार लोग। 2 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा। 3 शैक्षिक योग्यता 8 वी पास। 4 जिनकी वार्षिक आय रू0 40, 000 से अधिक न हो। **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** जिला उद्योग अधिकारी	1 जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित। 2 बैंकों के माध्यम से उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाना। 3 उद्योग एवं सेवा क्षेत्रा की रू0 2 लाख तक की परियोजनायें तथा व्यवसाय क्षेत्रा की रू0 1 लाख की परियोजनाओं पर ऋण का प्राविधान। 4 योजना की लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 7800 का अनुदान। 5 वित्तीय वर्ष 2003–04 में योजनान्तर्गत कुल 50900 इकाईयों की स्थापना 80000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
		2. लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना Q	**योजना हेतु पात्रता** रोजगार सृजन हेतु लघु उद्योगों की स्थापना। **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** जिला उद्योग अधिकारी	1 योजनान्तर्गत रू0 1.00 लाख से कम पूंजी निवेश तथा रू0 1.00 लाख से अधिक पूंजी निवेश से स्थापित होने वाली इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना। 2 वित्तीय वर्ष 2003–04 में योजनान्तर्गत कुल 30000 लघु उद्योगों की स्थापना तथा 120000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
		3. अम्बेडकर हस्त शिल्प विकास योजना। Q	**योजना हेतु पात्राता** जनपद के शिल्प एवं शिल्पियों को चिन्हित कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से । **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** जिला उद्योग अधिकारी	1 गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से। 2 जनपदों के शिल्प एवं शिल्पियों का बैसलाईन सर्वे किया जाना। 3 सर्वेक्षण में चिन्हित शिल्पियों के स्वयं सहायता समूह गठित किया जाना। 4 योजनान्तर्गत कौशल उन्नयन, डिजाइन, उत्पाद विकास, मार्केटिंग सपोर्ट, अन्तराष्ट्रीय एवं अन्तरदेशीय प्रचार–प्रसार, सामान्य सुविधा केन्द्र, निर्यात सहायता, स्वास्थ पैकेज एवं समूह बीमा, आवास से सम्बद्ध कार्यशाला आदि के वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
22	रेशम विकास	**1. माडल चाकी कीटपालन योजना** Q	**योजना हेतु पात्रता** 1– स्वयं का शहतूत वृ क्षारोपण 2– कीटपालक के रूप में रेशम कीटपालन करने हेतु इच्छुक व्यक्ति **जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी :** उप निदेशक/ सहायक निदेशक (रेशम)	1. रोजगार सृजन 2. शहतूत सम्पदा का विस्तार 3. रेशम कीटाण्ड उत्पादन 4. शहतूती कोया एवं धागा का उत्पादन 5. उद्यमी प्रशिक्षण 6. ग्रामीणो को उनके घर के आस–पास आय के अतिरिक्त याधन उपलब्ध कराना 7. शहतूत वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संर क्षण
		2. टसर रेशम विकास योजना	**योजना हेतु पात्रता** 1– टसर वृक्षारोपण के आस पास निवास कर रहे ग्रामीण 2– बीजू कीटपालन के रूप में कीटपालन का कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति 3– व्यवसायिक कीटपालन के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति	1. रोजगार सृजन 2. टसर सम्पदा का विस्तार 3. टसर कीटाण्ड उत्पादन 4. टसर कोया एवं धागा उत्पादन 5. टसर उद्यमी प्रशिक्षण 6. दूर दराज में निवास कर रहे ग्रामीणों को उनके घरों के आस–पास आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना 7. अर्जुन/असन वृक्षारोपण के माध्यम से

		Q	**जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी** सहायक निदेकश (रेशम)	पर्यावरण संरक्षण

क्र0सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
24	**प्रविधिक शिक्षा विभाग**	**विभाग में दो सेक्टर है :–** **1. डिप्लोमा सेक्टर** **2. डिग्री सेक्टर**	प्रविधिक शिक्षा विभाग के इन दोनो ही सेक्टर में उद्योग एवं बाजार को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाता है।	1 – डिप्लोमा सेक्टर में पाठ्यचर्या पुनरीक्षण का कार्य शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। संस्थान की संस्तुतियों पर प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन गठित पाठ्यचार्य विवरण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। समिति द्वारा समय–समय पर किये गये पाठ्यचर्या पुनरीक्षिण प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत किये जाते है तथा अगले सत्र में प्रथम वर्ष के छात्रों पर लागू किये जाते हैं। 2 – डिग्री सेक्टर में पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षिण का कार्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा किया जाता है। विद्या परिषद द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है और कार्य परिषद की बैठक के अनुमोदन के पश्चात् अगले सत्र में लागू किया जाता है। उपर्युक्तानुसार डिप्लोमा सेक्टर तथा डिग्री सेक्टर में पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों को जुलाई, 2003 से आरम्भ होने वाले आगामी सत्र में यथावश्यक लागू किया जायेंगा।

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
25	पर्यटन विभाग	––	––	<u>पर्यटन विभाग ने सुझाव दिये हैं कि जिला स्तर पर पर्यटन के माध्यम से निम्न प्रकार रोज़गार सृजित किया जा सकता है–</u> *i.* प्रदेश में चलने वाले सभी नये होट6ल7, पेईंग गेस्ट को रखने वाले लॉज व सभी प्रकार के रेस्ट्रॉ व खानपान की दुकानें। *ii.* मनोरंजन पार्क, जल क्रीड़ा पार्क व अन्य सम्बन्धित मनोरंजन के स्थल जैसे बोलिंगऐले आदि। *iii.* विभिन्न महोत्सव व मेले के आयोजन से। *iv.* ट्यूरिस्ट गाईड्स, धार्मिक स्थलों के पंडे, पर्यटक स्थलों से जुड़े हुए स्थानीय सोविनियर शॉप्स। *v.* पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए ट्रैवेल एजेन्सी, टूर ऑपरेटर्स तथा पर्यटकों को यातायात सुविधा प्रदान करने से सम्बन्धित रिक्शा चालक, टॉगा चालक, टैक्सी ऑटो आदि के चालक। *vi.* ग्रामीण पर्यटक स्थलों का विकास।

क.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
26	परिवहन विभाग	अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी परिगमन चलाने हेतु परमिट दिया जाना। Q	<u>योजना हेतु पात्रता</u> :– जो भी व्यक्ति निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश करने को तैयार हो। *जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी–* *सम्बन्धित जिलनाधिकारी एवं राज्य के 19 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा एक राज्य परिवहन प्राधिकरण*	<u>योजना का संक्षिप्त विवरण</u> :– *i.* अतिरिक्त परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तावित मण्डलीय लक्ष्य का व्यापक प्रचार–प्रसार करवायें। *ii.* बसें कय करने के इच्छुक व्यक्तियों को मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से बैंकों से समन्वय करके ऋण की सुविधा उपलब्ध करवायें। *iii.* इच्छुक व्यक्तियों को शिविर लगाकर ऋण सुविधा उपलब्ध करवायें तथा उसी समय परिवहन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से परमिट जारी करवाना सुनिश्चित करें। *iv.* प्रत्येक माह जारी होने वाले परमिटों की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक परिवहन आयुक्त को उपलब्ध करवायें। *v.* ऐसे नवनिर्मित मार्ग जिस पर वर्तमान में परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, का चिन्हीकरण करके नये मार्गों के सृजन के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
1	2	3	4	5
27	**राज्य नगर विकास विभाग**	**स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना**	**<u>1 – बेरोजगार एवं योग्यता से कम काम में लगे शहरी गरीबों को स्वरोजगार की उद्यमों की स्थापना तथा मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध कराते हुये आयप्रद करना।</u>** 2 – योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 75.25 के आधार पर व्यवस्था की गयी है।	1 – उपयोजना – 1 – शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम :– शहरी निर्धन महिला समूहों की सहायता एवं व्यवसायिक एवं उद्यमिता परक कौशल की प्राप्ति और उन्नयन। 1.1 – लक्ष्य समूह में शहरी निर्धन (आर्थिक व गैर आर्थिक मानदण्डों पर आधारित) महिलाओं (न्यूनतम 30 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/ जनजाति (स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में) तथा 3 प्रतिशत विकंलागों के वर्ग। 1.2 – लधु उद्यमों और कौशल विकास के माध्यम से व्यक्तिगत स्वरोजगार हेतु प्रत्येक इकाई में अधिकतम लागत रू0 50,000/– (उपादान/ अनुदान – कुल लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 7,500/–) निर्धारित तथा लाभार्थी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लगाना होगा। उपादान/ अनुदान तथा मार्जिन राशि के अतिरिक्त शेष राशि बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेंगी। संयुक्त, सामूहिक उद्यम/ कियाकलाप के मामलों में परियोजना लागत तथा उपादान/ अनुदान राशि सभी लाभार्थियों के सम्बन्ध में अनुमन्य होगी। 2 – प्रशिक्षण :– स्वरोजगार योजनान्तर्गत कौशल हेतु 25 प्रशिक्षणार्थियों के बैच को 2 से 6 माह (न्यूनतम 300 घंटे) का प्रशिक्षण। 2.1 – प्रति प्रशिक्षार्थी रू0 2.000/ – का व्यय निर्धारित। 2.2 – प्रशिक्षणोंपरान्त सफल लाभार्थियों को रू0 600/– की टूल किट भी प्रदान की जायेंगी। 3 – डवाकुआ :– महिला समूहों के लिये विशेष प्रोत्सोहन योजना। 3.1 – प्रत्येक डवाकुआ में न्यूनतम 10 शहरी निर्धन महिलायें, जिसमें से एक समूह की संयोजिका। 3.2 – समूह को रू0 1,25,000/– अथवा लागत का 50 प्रतिशत के बराबर जो कम हो उपादान/ अनुदान।
		शहरी मजदूरी रोजगार योजना	1 – स्थानीय शहरी निकायों के गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध कराना।	1.1 – योजना में सामग्री एवं श्रम का अनुपात 60: 40। 1.2 – क्षेत्र का सर्वेक्षण का मौजूदा आधारभूत न्यूनतम सेवाओं की सूची तैयार करके अनुउपलब्ध सेवाओं की प्राथमिकतानुसार ''ए'' सूची तैयार करेंगी। साथ ही अन्य अपेक्षित भौतिक सुविधाओं की ''बी'' सूची भी तैयार की जायेंगी। सूची के अनुसार कार्यो की स्वीकृति जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की जायेंगी।
		राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम	1 – शहरी मलिन बस्तियों में निवास कर रहे व्यक्तियों को मूलभूत भौतिक सुविधायें जैसे – पीने का पानी, सड़के, खड़न्जा, नाली इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराना तथा साथ	कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण प्रदेश। 1. योजना में 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्व ारा राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध।

			ही सामाजिक कार्य जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, मनोरंजन आदि सम्मिलित।	
		स्वच्छकार विमुक्ति योजना	मानव मल उठाये जाने की कुप्रथा को समाप्त करना।	शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करना। अनुदान – केन्द्रीय – 45 प्रतिशत ऋण – 45 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान – 10 प्रतिशत
		बाल्मीकी – अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वैम्बे)	मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे के पास परिवारों को आवास उपलब्ध कराना।	योजनान्तर्गत निर्माण लागत का रू0 40,000/– जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान।

क्र0स0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
28	युवा कल्याण	युवक मंगल दल/ महिला मंगल दलों का आर्थिक परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी Q	योजना हेतु पात्रता ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल/ महिला मंगल दल जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी : युवा कल्याण विभाग का जनपद स्तर का अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी	1 युवक मंगल दल/महिला मंगल दल ग्राम स्तर पर गठित किये जाते है और उनका पंजीकरण किया जाता है। 2 इन दलों के माध्यम से ग्राम पंचायत, क्षेत्रा पंचायत, जिला पंचायत एवं विकास विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यो को कराया जा सकता है। 3 स्वैच्छिक संस्थाओं के महत्व इन दलों से भी परियोजनाओं के अनुसार आर्थिक परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को चलाकर रोजगार में लगाया जाना। 4 वर्तमान में इन दलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक कार्यक्रमों यथा– पल्स पोलियों/एड्स/मददाता जागरूकता/ परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों में भाग लेते है और इससे काफी सहयोग मिलता है तथा कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार होता है। 5 युवक मंगल दल/ महिला मंगल दल के सदस्यों से स्वयं सहायता समूह अधिक से अधिक गठित कराये जाये। 6 विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल के अवैतनिक स्वयं सेवकों वर्दी व प्रशिक्षण देकर ड्यूटी पर लगाया जाता है। 7 वर्तमान में 35350 स्वयं सेवक प्रदेश में उपलब्ध है, जिनका उपयोग करके रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

क्र0स0	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का सार
29	**नागरिक उड्डयन**	**1. प्राइवेट पाइलेट लाइसेन्स (पी0पी0एल0)** **2. कामर्शियल पाइलेट लाइसेन्स (सी.पी.एल.)**	सीमित कार्यक्षेत्र, तकनीकी एवं संवेदनशील कार्यप्रकृति के दृष्टिगत विभाग में स्वरोजगार सृजन की दिशा में क्षीण सम्भावनायें हैं।	पी0पी0एल0 पाठ्यक्रम के लिए 60 घण्टे तथा सी0पी0एल0 के लिए 240 घण्टे की उड़ान विहित है। प्रशिक्षण के लिए रू0 3700 प्रति घण्टा शुल्क निर्धारित है। तदनुसार गणना करने पर उक्त कोर्सों के लिए क्रमशः 2,20,000 तथा 8,88,000 रूपये शुल्क देय है। सी0पी0एल0 लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त अभ्यर्थी व्यवसायिक पाइलेट के रूप में न्यनतम अर्हता कर के सेवायोजन प्राप्त कर सकता है।
		3. डिपलोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग	इस में प्रवेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पालीटेक्निक्स के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से मेरिट के आधार पर होते हैं।	डिपलोमा प्राप्त करने के उपरान्त अभ्यर्थी एक वर्ष की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कर के महानिदेशक, नागर विमानन भारत सरकार द्वारा आयोजित एयरक्राफ्ट मेन्टिनेन्स इंजीनियर लाइसेन्स की परीक्षा के लिए अर्ह होते हैं। जो अभ्यर्थी उक्त लाइसेन्स प्राप्त करने में सफल होते हैं उन्हें विभिन्न उड्डयन संस्थानों में सेवायोजन के आकर्षक अवसर हैं।

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मुख्य बिन्दु	योजना का संक्षिप्त विवरण
30	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		रोजगार हेतु वर्ष 2003–04 हेतु निर्धारित लक्ष्य	उल्लिखित विभिन्न पैरामेडिकल प्रशिक्षण कोर्स, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय के माध्यम से राजकीय अस्पतालों एवं निजी संस्थान में संचालित किया जाता है।
		डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग	1102	
		डिप्लोमा इन फार्मेसी	240	
		डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन	330	
		एक्स–रे टेक्नीशियन	220	
		डिप्लोमा इन आप्टोमिटरी	180	
		डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी	130	
		डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन	20	
		डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन	70	
		डिप्लोमा इन आकुपेशनल थिरेपी	30	
		डिप्लोमा इन सी0एस0एस0 टेक्नीशियन	20	
			योग 2352	